कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-18.06.2024

विषयः- प्राण घातक हमला करने के मामले मे वांछित अभियुक्त मटरू यादव थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व मे थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-361/2024 धारा 323,504,506,324,427,308,307 भा0द0वि0 थाना चौबेपुर कमि0 वाराणसी से संबंधित वांछित अभियुक्त 1- मटरू यादव पुत्र स्व0 बूढे यादव निवासी ग्राम चांदपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी को आज दिनांक-18.06.2024 को समय करीब 13.30 बजे ग्राम चांदपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 17.06.2024 को वादी मुकदमा श्री महेन्द्र मिश्रा पुत्र स्व0 राजनाथ मिश्र निवासी ग्राम चांदपुर थाना चौबेपुर जिला वाराणसी ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक-16/06/024 को समय करीब 09.30 बजे रात्रि में प्रार्थी/वादी का पुत्र शिवम मिश्रा उम्र 20 वर्ष अपनी मोटरसाईकिल से गौरा बाजार से दवा लेकर अपने घर वापस आ रहा था तभी रास्ते में चाँदपुर में अवस्थित माँ शीतला माता मंदिर के पास पुरानी रंजिश को लेकर प्रार्थी/वादी के पुत्र को प्रतिवादीगण सुनील यादव उर्फ लोहा यादव, शुभम यादव, लाखू यादव व मटरू यादव द्वारा भद्दी-भद्दी गालियाँ देते हुए उसे लाठी-डण्डे व धारदार हथियार से बुरी तरह मारे-पीटे तथा प्रतिवादी सुनील यादव उर्फ लोहा यादव ने प्रार्थी/वादी के पुत्र के सिर पर पिस्टल के बट से भी मारा जिससे प्रार्थी/वादी का पुत्र इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। विपक्षीगण द्वारा उसकी मोटरसाइकिल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया एवं जाते समय विपक्षीगण ने जान से मारने की धमकी भी दी। गंभीर घायलावस्था में प्रार्थी/वादी के पुत्र को बी0एच0यू0 ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जिसके आधार पर थाना चौबेपुर मे मु0अ0सं0-361/2024 धारा 323/504/506/324/427 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 हरेन्द्र कुमार द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- मटरू यादव पुत्र स्व0 बूढे यादव निवासी ग्राम चांदपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी, उम्र करीब 55 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- ग्राम चांदपुर थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी से दिनांक-18.06.2024 को समय करीब 13.30 बजे।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-361/2024 धारा 323/504/506/324/427/308/307 भा0द0वि0 थाना चौबेपुर कमि0 वाराणसी।
2. मु0अ0सं0-466/2019 धारा 323/504/506/325/427 भा0द0वि0 थाना चौबेपुर कमि0 वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 हरेन्द्र कुमार थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. का0 जुगुनू पासवान थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।